

पत्र सं०-०६/पी०- १२/१३- २४(६)ब /स्वा० दिनांक १८.३.१७
झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ।


शुद्धि-पत्र

भवन निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक- 736(भ०) दि० 08.03.17 के आलोक में अधोलिखित तालिका में अंकित विभागीय आवंटनादेशों की तालिका के स्तंभ "३" में अंकित कंडिका को वित्त विभाग के पत्रांक 374/वि० दिनांक 22.02.2005 में डिपोजित कार्य हेतु कार्य प्रमण्डलों को निधि हस्तान्तरण की प्रक्रिया हेतु निर्दिष्ट कंडिकावार दिशानिर्देश के क्रम में संशोधित रूप में तालिका के स्तंभ "४" के अनुसार पढ़ा जाए:-

क्र०	विभागीय आवंटनादेश सं० एवं तिथि	कंडिका संख्या जिसे संशोधित किया जा रहा है	संशोधन
1	133(6)ब दि० 26.09.16	4	"आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित प्रमण्डल के कार्यपालक अभियन्ता, भवन निर्माण विभाग (संलग्न परिशिष्ट के अनुसार) होंगे, तथा नियंत्री पदाधिकारी अपर मुख्य सचिव, स्वा०चि०शि० एवं प०क० विभाग, झारखण्ड, राँची होंगे । संबंधित कार्यपालक अभियन्ता डिपोजित कार्य हेतु विपत्र के माध्यम से राशि की निकासी कर पुस्तांतरण द्वारा रिभिटान्स शीर्ष- 8782, स्थानीय जमा निधि-102 में प्रतिहस्ताक्षरित चालान के माध्यम से राशि जमा करेंगे ।"
2	134(6)ब दि० 26.02.16	4	तथैव
3	135(6)ब दि० 26.09.16	4	तथैव
4	139(6)ब दि० 27.09.16	3	तथैव
5	140(6)ब दि० 27.09.16	3	तथैव
6	141(6)ब दि० 29.09.16	4	तथैव
7	142(6)ब दि० 29.09.16	3	तथैव
8	143(6)ब दि० 29.09.16	3	तथैव
9	165(6)ब दि० 21.12.16	4	तथैव
10	167(6)ब दि० 23.12.16	3	तथैव
11	175(6)ब दि० 21.01.17	2	तथैव

12	182(6)ब दि० 08.02.17	3	तथैव
13	186(6)ब दि० 15.02.17	4	तथैव
14	210(6)ब दि० 24.02.17	2	तथैव
15	211(6)ब दि० 24.02.17	2	तथैव
16	213(6)ब दि० 24.02.17	3	तथैव
17	214(6)ब दि० 24.02.17	3	तथैव
18	215(6)ब दि० 24.02.17	3	तथैव
19	217(6)ब दि० 24.02.17	3	तथैव

2. उक्त आवंटनादेशों की शेष कंडिकाएँ यथावत रहेंगे ।
3. प्रस्ताव पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है ।



(सुधीर त्रिपाठी)

सरकार के अपर मुख्य सचिव।

ज्ञाप संख्या 241(6) अ

रांची, दिनांक: 18.3.17

प्रतिलिपि: माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, रांची/अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव/योजना सह वित्त विभाग/भवन निर्माण विभाग/संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/प्रबंध निदेशक, झार0रा0भ0नि0नि0लि0 /अभियान निदेशक, एन0आर0एच0एम0/संबंधित उपायुक्त/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ/संबंधित सिविल सर्जन/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/संबंधित प्रमण्डल के कार्यपालक अभियन्ता, भवन निर्माण विभाग, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(सुधीर त्रिपाठी)

सरकार के अपर मुख्य सचिव।

241(6) अ

18.3.17